INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE RESEARCH IN ENGINEERING MANAGEMENT AND SCIENCE (IJPREMS)
(Int Peer Reviewed Journal)
Vol. 05, Issue 01, January 2025, pp : 1051-1056
www.ijprems.com
editor@ijprems.com
e-ISSN : 2583-1062
Impact Factor : 7.001

19 वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलनः राजस्थान के संदर्भ में

नीरज कुमार महावर
सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गीजगढ़.

सारांश

हमने अब तक राजस्थान के सामाजिक जीवन के संदर्भ में विभिन्न को प्रथाओं पर चर्चा की है हालांकि आधुनिक पाठक स्वाभाविक रूप से यह जानने के उत्सुक होंगे कि प्राचीन राजस्थान में समझ में व्याप्त को प्रथाएं सार्वजनिक जीवन व गतिविधि में भाग लेने के लिए क्या सुविधा दी थी क्या वे समाज में व्यक्ति को प्रथाएं थी या उन्हें कुप्रथा मानने के लिए बाध्य किया जाता था अगर उसे समय में स्वतंत्र रूप का समाज कितना पिछड रहा था। उनका विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया था उसे समय का समाज के विकास के लिए प्रशासन ने क्या भूमिका निभाई अब हम इन सवालों पर चर्चा करेंगे।

19वीं सदी में भारत में पुनर्जागरण के युग में प्रवेश किया सामाजिक सुधार आंदोलन हुए राजस्थान भी सामाजिक सुधार अछूता नहीं रहा प्राचीन काल से कुछ प्रथाएं तथा परंपराएं यह विकसित हुई कुछ नयी प्रथाओं ने जन्म लिया और कुछ पुरानी प्रथाओ ने विकृत स्वरूप धारण किया इसके परिणाम स्वरुप समाज में क्रांति को जन्म दिया राजस्थान के राजपूत समाज कई धर्म मुख्यतः हिंदू, मुस्लिम, जैन,बौद्ध, सिक्खो में संगठित था और हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था ने जाति के स्वरूप में स्थापित थी जातीय उपजातियां में बटी थी विवाह संस्था सामाजिक संगठन की सबसे मजदबूत व्यवस्था थी लेकिन इनमें बाल विवाह, अनमेल विवाह जैसे जुड़ गए इसी प्रकार कुछ समझ में को प्रथाएं भी मौजूद थी जैसे सती प्रथा, कन्यावध,दास प्रथा,जौहर प्रथा, मानव व्यापार,डाकन प्रथा,समाधि,मृत्यु आदि प्रथाएं थी

19वीं सदी में अंग्रेजों के आगमन से सामाजिक सुधार किए गए तथा अंग्रेजों ने सामाजिक नीतिया (सामाजिक प्रथाएं कानून द्वारा प्रतिबंध सामाजिक सुधारो में हस्तक्षेप) लागू की। सामाजिक सुधारो के लिए ब्रिटिश कंपनी ने राजपूतों से संधिया और 1857 के पास ब्रिटिश ताजकी सर्वोच्चता के बाद स्थिति परिवर्तित होने लगी प्रारंभ में अंग्रेजों ने सामाजिक सुधारो में सहयोग दिया और हाडोती क्षेत्र के सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप पर लोगों ने विरोध किया । बाद में उनके सामाजिक सुधारो को अपना लिया अंग्रेजों ने पहले प्रशासनिक न्यायिक और आर्थिक, धार्मिक परिवर्तन करके उपरोक्त वातावरण बनाया शिक्षा को प्रोत्साहन दिया फिर बाद में सामाजिक जीवन में व्याप्त को प्रथाओं के निवारण में समाज सुधारकों ने भी अहम भूमिका निभाई.

विभिन्न सामाजिक कुप्रथाएं एवं सुधार

1 सती प्रथा

सती प्रथा भारत के उन क्षेत्रों के साथ राजपूताना में भी प्रचलित थे मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया और अंग्रेजों के समय सामाजिक और सरकारी दृष्टिकोण से इस प्रथा को रोकने के प्रयास किए राजा राममोहन राय के प्रयास से प्रेरित होकर लॉर्ड विलियम बैटिंक 1829 के एक्ट से सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गवर्नर जनरल विलियम बैंटिक ने राजस्थान के रियासतों को अनेक पत्र लिखें जिसमें उन्होंने सती प्रथा को रोकने के लिए प्रयास किए अभिलेखागार में इस संबंध में अनेक दस्तावेज उपलब्ध है उस समय राजस्थान के हाडोती प्रदेश में कोटा, बूंदी,झालावाड़ के शासको एवं रियासतों के कैप्टन रिचर्डसन ने आदेश दिया और सती प्रथा को के कानून बनाने के निर्देश दिए ब्रिटिश कंपनी अभी प्रत्यक्ष बीजेपी की नीति के विरोध में थी और रिचर्डसन के आदेश भेजने के प्रयासों को ब्रिटिश अधिकारियों ने विरोध किया। जबकि कंपनी अपनी स्थिति रियासतों में मजबूत होने के कारण अहस्तक्षेप की नीति को त्याग कर हस्तक्षेप की नीति अपनाने पर विचार कर रही थी इस संबंध में 1839 में पोलिटिकल एजेंट जयपुर की अध्यक्षता में एक संरक्षण समिति गठित की और सती प्रथा

INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE RESEARCH IN ENGINEERING MANAGEMENT AND SCIENCE (IJPREMS)
(Int Peer Reviewed Journal)
Vol. 05, Issue 01, January 2025, pp : 1051-1056
www.ijprems.com
editor@ijprems.com
e-ISSN : 2583-1062
Impact Factor : 7.001

निषेध के लिए मंथन किया इसके लिए उन्होंने सामन्तो तो और स्थानीय अधिकारियों को सहयोग लेना उचित समझा ।

सती प्रथा में सुधार के प्रयास

1844 में जयपुर संरक्षक समिति ने एक सती प्रथा उन्मूलन हेतु एक विधेयक पारित किया यह प्रथम विधायक यह प्रथम कानूनी प्रयास था जिसका समर्थन नहीं तो विरोध भी नहीं हुआ अतः इससे उत्साहित होकर ए.जी.जी ने उदयपुर जोधपुर बीकानेर सिरोही बांसवाड़ा धौलपुर जैसलमेर बूंदी कोटा और झालावाड़ में स्थित पोलिटिकल एजेंट को निर्देश दिए कि वह अपने व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग करते हुए शासको से सती प्रथा के उन्मूलन हेतु नियम पारित करने का प्रयास करें यह प्रयास कई रियासतों में सफल रहा डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में 1846 में सती प्रथा को विधि सम्मत नहीं माना इस क्रम में 1848 में कोटा और जोधपुर में भी और 1860 में अनेक प्रयासों के बाद मेवाड़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु कानून बनाए गए इस कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूल करने की व्यवस्था की गई और चार्ल्स वुड ने कुरीतियों को रोकने के प्रयासों को प्रभावहीन मानते हुए एजीजी राजपूताना को गस्ती पत्र भेजकर निर्देश दिया की कुरीतियों को रोकने के लिए जुमारने की अपेक्षा बंदी बनाने जैसे कठोर नियम लागू किया। अतः 1861 में ब्रिटिश अधिकारियों ने शासको को कई नए कठोर नियम लागू करने की सूचना दी जिसके अनुसार सती संबंधित सूचना मिलने पर करावास का दंड दिया जा सकता है जमाने के साथ शासक पद से हटाने और उसे गांव का खालसा दिया जा सकता है । इसी प्रयास में दयानंद सरस्वती का राजस्थान आगमन हुआ उन्होंने सती प्रथा को अनुचित एवम् अमानवीय मानते हुए निंदनीय कृत्य बताया और उन्होंने इसका विरोध किया और समाज को नई दिशा प्रदान की।

2 कन्या वध

19वीं शताब्दी का राजपूताना में यदा कदा कन्या वध की प्रथा एक अभिशाप थी कर्नल जेम्स टॉड दहेज प्रथा को इसका एक प्रमुख कारण मानना है दहेज और कन्यावध दोनों समाज की नासूर थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे।

कन्या वध उन्मूलन के प्रयास

कन्या वध को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए सर्वप्रथम मेवाड़ क्षेत्र में कन्या अवध को रोकने के लिए महाराणा ने ब्रिटिश एजेंट पर दबाव डालकर कानून बनवाया मेवाड़ों के क्रम में भी कोटा में कन्या हत्या निषेध बनाया 1839 में जोधपुर महाराजा ने कोड आफ रूल्स बनाए । 1844 में जयपुर महाराजा ने कन्या वध अनुचित घोषित किया गया यद्यपि बीकानेर में भी तो नहीं बनाया लेकिन 1839 में गया यात्रा के समय महाराज ने सामंतों को शपथ दिलाएगा वह अपने यहां कन्या वध नहीं होने देंगे और 1888 के बाद कन्या व़ध की घटनाएं लगभग समाप्त मानी जाती है।

3 अनमेल व बाल विवाह

छोटी उम्र की कन्याओं का उनसे अधिक बड़ी उम्र के व्यक्ति से विवाह कर दिया जाता था इस प्रकार के विवाह के पीछे मुख्य कारण आर्थिक परेशानी की थी इसमें दासी प्रथा भी एक कारण थी इसके अनेक दुष्परिणाम थे अनमेल विवाह के बाद लड़की अक्सर विधवा हो जाती थी और उसे पूरा जीवन कठिनाइयों में गुजरना पड़ता था और सामाजिक दृष्टि से उन्हें निशा भी देखना पड़ता था। ए वयस्क अवस्था के लड़के लड़कियों का विवाह की को प्रथम सामान्य थी जिसे समाज के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा।

अनमेल विवाह व बाल विवाह उन्मूलन के प्रयास

अनमेल एवं बाल विवाह जैसे को प्रथम को प्रतिबंधित करने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत में बाल विवाह और अनमोल विवाह को निषेध कानून बनाया गया और राज परिवारों से भी इसका सख्ती से पालन करवाया गया ।

4 दास प्रथा

Vol. 05, Issue 01, January 2025, pp : 1051-1056
e-ISSN : 2583-1062
Impact Factor : 7.001

भारत में दास प्रथा प्राचीन काल से अस्तित्व में थी राजपूताना भी इससे अछूता नहीं रहा गया बाद में यह व्यवस्था अधिक विकसित हुई। राजा के विवाह के अवसर पर दास एवं दासी को भेजा जाता था यहां दासों की संख्या के साथ कुल एवं परिवार की प्रतिष्ठा का आकलन होने लगा था दास मुख्य चार प्रकार के होते थे । 1 बंधक जो युद्ध के अवसर पर बंदी बनाए गए स्त्री और पुरुष । 2 विवाह के अवसर पर दहेज दिए जाने वाले स्त्री पुरुष । 3 स्थानीय सेवक सेवेकाएं । 4वंशानुगत सेवक और सेविकाएं थे जो कि स्वामी की अवैध संतान होते थे उनसे उत्पन्न पुत्र पुत्री वर्षगत रूप से सेवा करते रहते थे उनके सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी और बिना शासक की अनुमति के लिए विवाह नहीं कर सकते थे।

5 डाकन प्रथा

डाकन प्रथा को राजस्थान में एक गंभीर को प्रथा थी यह लोगों में अंधविश्वास था 1853 में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी राजपूताने ने मानवीय प्रथा को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाने के लिए शासको पर दबाव बनाया और 1853 में मेवाड़ रेजीमेंट रेजिडेंट कर्नल इडर के परामर्श पर मेवाड़ महाराणा जवान सिंह ने डकान प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया ।

6 जौहर प्रथा

जौहर प्रताप राजस्थान के मध्यकाल में देखने को मिलती है जौहर प्रथा में महिलाएं अपने जीवित शरीर को अग्नि कुंड के हव अग्नि कुंड के प्रति समर्पित कर देती है राजस्थान में जौहर प्रथा दो प्रकार की प्रचलित थे एक जल जौहर 2 अग्नि जौहर।

- जल जौहर राजस्थान में प्रथम जल जौहर राजा हम्मीर की पत्नी रंग देवी ने 1301 में किया
- अग्नि जौहर राजस्थान में प्रथम अग्नि जोहार चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मनी ने 1303 मे किया था।

जौहर हिंदू राजपूत महिलाओं एवं लड़कियों द्वारा की जाने वाली प्रथम थी यह प्रथम युद्ध में हर की स्थिति में आक्रमण कार्यों से बचने के लिए की जाती थी जौहर में महिलाएं जौहर कुंड में आग लगाकर खुद को उसमें जला देती थी जौहर को राजस्थान में साका के नाम से भी जाना जाता है। जौहर प्रथा को साहस आत्म बलिदान नारित्व और सम्मान की रक्षा का प्रतीक माना जाता है।

7 दहेज प्रथा

वर्तमान में दहेज प्रथा एक गंभीर समस्या है ।इसके कारण माता पिता के लिए लड़कियों का विवाह एक अभिशाप बन गया है। सामान्यतः दहेज उस धन या संपत्ति को कहते हैं जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। फेयरचाइल्ड के अनुसार दहेज वह धन सम्पत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। मैक्स रेडिन लिखते हैं साधारण तो दहेज वह संपत्ति है जो एक पुरुष विवाह के समय अपनी पत्नी या उसके परिवार से प्राप्त करता है ।

कभी कभी वर मूल्य एवं दहेज में अंतर किया जाता है। दहेज लड़की के माता पिता इस स्नेहवश देते हैं ।यह पूर्व निर्धारित नहीं होता है और कन्या पक्ष के सामर्थ्य पर निर्भर होता है ।जबकि वर मूल्य वर के व्यक्तित्व गुण ,शिक्षा ,व्यवसाय ,कुलीनता तथा पारिवारिक स्थिति आदि के आधार पर वर पक्ष की ओर से मांगा जाता है और विवाह से पूर्व ही तय कर लिया जाता है।

दहेज का प्रचलन प्राचीनकाल से रहा है ब्रहम विवाह में पिता वस्त्र एवं आभूषणों से सुसज्जित कन्या का विवाह योग्य वर के साथ करता था। रामायण और महाभारत काल में भी दहेज कब प्रचलन था सीता एवं द्रौपदी आदि को दहेज में आभूषण घोड़े हीरे जवाहरात एवं अनेक बहुमूल्य वस्तुएं देने का उल्लेख किया है उस समय दहेज कन्या के प्रति स्नेह के कारण स्वेच्छा से दिया जाता था। दहेज का प्रचलन राजपूत काल में 13 वीं एवं 14 वीं शताब्दी से प्रारंभ

हुआ और कुलीन परिवार अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार दहेज की मांग करने लगे। बाद में अन्य लोगों में भी इसका प्रचलन हुआ।

भारत वर्ष में इस प्रथा के लिए विश्व भर में बदनाम है। यहाँ जन्म से ही लड़कियों को पराया धन समझा जाता है ।उसके पालन पोषण पर भी लड़कों से कम ध्यान दिया जाता है। माता ।पिता कन्या को पराया धन समझकर उसके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं लड़की को अपने साथ दहेज नहीं ले जाने पर ससुराल में ताने सुनने पड़ते हैं। साथ ही दहेज के कारण लड़कियों को जलाकर मारा भी दिया जाता है।

दहेज निरोधक एक्ट 1961

हिंदू समाज में दहेज भी भीषण समस्या को हल करने के लिए भारतीय संसद ने मई 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया। इसके प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है।

1 इस अधिनियम में दहेज को इस प्रकार परिभाषित किया गया है विवाह के पहले या बाद में विवाह की एक शर्त के रूप में एक पक्षी या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई कोई सभी संपत्तियां मूल्यवान वस्तु दहेज कहलाएगी।

2 विवाह के अवसर पर दी जाने वाली बेटियां उपहार को दहेज नहीं माना जाएगा।

3 दहेज लेने व देने तथा इस कार्य में मदद करने वाले व्यक्तियों को छह माह के जेल और ₹5000 तक का दंड दिया जा सकता है।

4 दहेज लेने व देने संबंधी किया गया कोई भी समझौता गैरकानूनी होगा।

5 विवाह में भेंट दी गई वस्तुओं पर कन्या का अधिकार होगा।

प्रचलन हुआ।

6 धारा सात के अनुसार दहेज संबंधी अपराध की सुनवाई प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट ही कर सकता है और ऐसी शिकायत लिखित रूप में एक वर्ष के अंदर की जानी चाहिए।

इस संदर्भ में एक बात उल्लेखनीय है कि दहेज निरोधक अधिनियम में उड़ीसा,बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब,हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों ने संशोधन कर इसे कठोर बना दिया है। उत्तर प्रदेश में 1976 में इस अधिनियम में संशोधन किया है जिसके अनुसार विभाग के समय कोई भी पक्ष ₹5000 से अधिक खर्च नहीं करेगा जिसमें विवाह के उपहार भी सम्मिलित है। अब बिना शिकायत के भी पुलिस और प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों की रिपोर्ट तथा जांच कर सकते हैं। 1984 एवं 1986 में दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में संशोधन कर इसे और कठोर बनाया गया है। दहेज के विरुद्ध अपराध अब संज्ञेय, गैर जमानती है तथा अभियुक्त को ही यह प्रमाण देना होता है कि वह निर्दोष है।

सामाजिक सुधार के प्रयास

प्रचलित कुप्रथाओं को रोकने के लिए दो तरफ से प्रयास किए गए एक सरकारी प्रयास और दूसरा सामाजिक प्रयास ।सरकारी प्रयास में समय-समय पर रियासतों में कानून बनाने के अतिरिक्त मेवाड़ में देश हितेषिणी सभा और संपूर्ण राजपूताना में एजीजी वाल्टर के नेतृत्व में वाल्टर हितकारिणी सभा के माध्यम से कानून बनाए गए।

1 देश हितेषिनी सभा

कभी श्यामल दास ने वीर विनोद में 2 जुलाई 1877 में उदयपुर में स्थापित देश हितेषिणी सभा का उल्लेख किया है यह स्वयं इस संस्था के सदस्य थे यह मेवाड़ रियासत तक की समिति इस सभा का उद्देश्य विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान करना था इसमें राजपूत ने राजपूतों के वैवाहिक कार्यों पर दो प्रकार से प्रतिबंध लगाए गए थे।

1 प्रथम विवाह खर्च सीमित करना था ।

2 बहु विवाह निषेध के नियम बनाए गये।

मेवाड़ की देश हितेषिणी सभा का यह पर्यटन पल सफल नहीं हो पाया क्योंकि इसमें ब्रिटिश सरकार का पूर्ण सहयोग नहीं मिला था कमिश्नर रिपोर्ट से पता चलता है कि 1886 में मेवाड़ रेजीमेंट द्वारा आग को भेजी गई रिपोर्ट में मेवाड़ के देश हितेश ने सभा के नियमों में कुछ परिवर्तन करके अन्य रियासतों में विवाह प्रथा में सुधार संबंधित कदम उठाए हैं इस प्रकार सामाजिक सुधार से संबंधित रियासत का पहला सफल कम था बाद में मेवाड़ की तर्ज पर अन्य रियासतों ने भी हितेशानी सभा बनाई गई।

2 वाल्टर कृत हितकारिणी सभा

1887 ईस्वी में वाल्टर राजपूताना का एजीजी नियुक्त हुआ उसने अक्टूबर 1887 में रियासतों में नियुक्त पोलिटिकल एजेंट को राजपूत के विवाह खर्चे पर नियम बनाने के लिए परिपत्र लिखा 10 मार्च 1888 को अजमेर में भरतपुर धौलपुर बांसवाड़ा को छोड़कर कल 41 प्रतिनिधियों ने भाग लिया सम्मेलन में लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु निश्चित करने और मृत्यु भोज पर खर्च को नियंत्रित करने की प्रस्ताव रखे गए जनवरी 1889 में वाल्टर ने दूसरा सम्मेलन आयोजित किया जिसमें पुराने सदस्यों में से केवल 20 सदस्य आए इस सम्मेलन में इस कमेटी का नाम वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा रखा गया एक सप्ताह के सम्मेलन में आंकड़ों सहित सुधारो की प्रगति संबंधित रिपोर्ट तैयार की गई और प्रतिवर्ष सम्मेलन के आयोजन की व्यवस्था की इसमें सुधार कार्यों का आकलन करके प्रशासनिक रिपोर्ट के लिए भेजा जाए 1936 के वाल्टर सभा भंग कर दी गई।

1889 से 1938 के मध्य वॉल्टर सभा के मुख्य कार्य निम्न थे

1 बहु विवाह प्रथा पूर्णता समाप्त कर दी जाए 2 विवाह आयु निश्चित कर दी गई लड़की कम से कम 14 वर्ष और लड़का काम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए 3 टीके का आशय लड़की के पिता पक्ष की ओर से भेजे गए उपहार से हैं रीत का तात्पर्य लड़के के पिता पक्ष की ओर से भेजे गए उपहार से हैं विवाह के समय प्रचलित उक्त टीका और रीत प्रथा पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिए गए थे।

आधुनिक राजस्थान में ऐसे सामाजिक नियमों का गठन किया गया जिसमें को प्रथाओं का यदि अंत में होता हो तो उसमें कमी अवश्य आई है वाल्टर कृत हितकारिणी सभा ने अपने कार्यकाल में सुधार संबंधित अनेक कदम उठाए हैं लेकिन यह नौकरशाही व्यवस्था मात्र बनकर रह गई है। सामाजिक को प्रथम को रोकने के लिए सामाजिक वेतन में महत्वपूर्ण रहे हैं स्वामी विवेकानंद की 1891 में यात्रा से नई जागृति आई जिसके परिणाम स्वरुप धर्म से जुड़कर जो को प्रथाएं प्रचलित हो गई थी उन्हें तर्क के आधार पर समझकर लोगों ने मानने से इनकार कर दिया राजपूताना में सर्वाधिक प्रभाव दरण सरस्वती और उनके आर्य समाज संगठन का पद दयानंद स्वामी एक संत थे जो ईश्वर और आध्यात्मिकता के साथ-साथ सामाशजिक जीवन में व्यक्ति के अस्तित्व और उसके उत्तरदायित्व को समझने का विवेक लोगों से विकसित कर पाए उन्होंने वाद विवादऔर गोष्ठियों को प्रोत्साहित किया जिससे समाज में तार्किक शक्ति का विकास हो सके उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर बोल दिया जिससे भी अपने साथ होने वाले अन्य से लड़ सके उन्होंने जाति प्रथा छुआछूत बाल विवाह अनिल विवाह का विरोध किया तथा विद्रोह विवाह का समर्थन किया एवं राष्ट्रीय भावनाओं को प्रोत्साहित किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सामाजिक चेतना अभियान में शासन और कुलीन वर्ग की भूमिका पर विशेष बल दिया जिससे कि आमजन को समाज सुधार के लिए संगठित रूप से कार्य करने हेतु आर्य समाज और परोपकारिणी सभा के सदस्य भी सक्रिय हुए थे ।

निष्कर्ष

सामाजिक कुप्रथाओं के उपरोक्त सर्वेक्षण से पता चलता है कि हाल के समय में अधिकांश पश्चिमी और पश्चिमी सभ्यताओं ने इनको प्रथाओं का प्रचलन काफी कम था लेकिन वर्तमान समय में इनको प्रथाओं में तेजी से कमी आने लगी समाज सुधारक और चिकित्सा कर में लंबे समय से उनके बुरे परिणामों की ओर इशारा करते रहे हैं शिक्षा जो अब महिलाओं की बड़ी संख्या में मिलने शुरू हो गई है वह इनको प्रथाओं के लिए घातक साबित हो रही है पहली नजर में

तो यह अजीब लग रहा था शिक्षा की क्रांति और लोगों की जागरूकता को देखते हुए वर्तमान समय में महिलाओं को हर प्रकार की सुविधा प्राप्त प्राप्त हो रही है जिसे कि उनका विकास हो सके सरकार के द्वारा महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है । जिससे कि वह अपना अच्छा जीवन यापन कर सके और उन्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी मिलती रहे। सरकार द्वारा महिलाओं को राजनीति के सीटों में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है जिससे कि वह सार्वजनिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए इससे अनुमान लगाया जाता है कि एक पीढ़ी के बाद सभी को कुप्रथाओं को हिंदू समाज से पूर्णतया समाप्त हो जाएगा ।

संदर्भ

- राजपूताना एजेंसी रिकॉर्डस
- राजस्थान सुजस
- ओझा,जी एच राजपूताना का इतिहास
- जयसिंह नीरज शर्मा,बी एल राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा
- शर्मा गोपीनाथ राजस्थान की सांस्कृतिक इतिहास
- के एम कापड़िया भारत में विवाह एवं परिवार
- डॉ आर एन सक्सेना भारतीय समाज एवं सामाजिक संस्थाएँ